Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः– 2017/355 दायरा दिनांक 13.12.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामूराम दत्तकपुत्र मंगाराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. लक्ष्मीनिवास पुत्र गोकुलचन्द 2. बेणीगोपाल पुत्र गाकुलचन्द 3. श्रीनिवास पुत्र नृसिंहदास 4. श्रीकुमार पुत्र नृसिंहदास समस्त जाति महाजन निवासी बी. 07 2 फलॉर ग्रेटर कैलास पार्ट–01 न्यु दिल्ली 110048 5. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत घोषणा खातेदारी
हस्ब धारा 88,राज. काश्त. अधि.

उपस्थित–

1. श्री समन्दरसिंह नाथावत, अधिवक्ता, वादी।
2. प्रतिवादीगण सं0 01,ता 05 अनुपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.01.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 298 रकबा 10 ब़ीघा 13 बिस्वा, स्थित है।जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के पुर्वज गोविन्दराम,व गोकलराम पिसरान मगनीराम कौम महाजन सा. डीडवाना के नाम से दर्ज है मगर सम्पुर्ण रकबा पर मौके पर वादी का कब्जा काश्त अपने पुर्वजो के समय से 57 साल से चला आ रहा है। नकल खतौनी सम्वत 2071–2074 पेश है।

वादी के दत्तक पिता स्व.मगाराम बच्चपन से ही उपरोक्त खेत के खातेदार मगनीराम पुत्र रामप्रसाद के घर मे नौकरी करता था।तथा वादी के दत्तक पिता मंगाराम सेंठ मगनीराम के घर पर ही सेवक के रूप में सेठ मंगनीराम की सेवा चाकरी करता था।वादी व वादी के दत्तक पिता मंगाराम गरीब था। वादी के पिता ने सेठ मगनीराम के नौकरी ईमानदारी से करने पर सेठ मगनीराम ने वादी के दत्तक पिता को दीपावली पर उपहार स्वरूप मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 298 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा अपनी ईच्छा से भेंट किया था।और सेठ मगनीराम ने उक्त खेत की लिखापढी दिनाकं 03.02.1960 को एक नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प पर वादी के दत्तक पिता मंगाराम के पक्ष मे उपहार स्वरूप देने बाबत कर दी थी, तब से लेकर आज दिन तक उपरोक्त खेत पर कब्जा काश्त वादी के पुर्वजो के समय से वादी का चला आ रहा है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या–2017/355 दायर दिनांक 13.12.2017
निर्णय दिनांक 16.01.2018
रामूराम, बनाम लक्ष्मीनिवास, वगैरा।

वादी के दत्तक पिता स्व. मंगाराम कुँवारा ही था और वादी रामूराम को बच्चपन में ही अपने पास रखता था।और वादी को पढाना लिखाना व शादी–विवाह आदि दत्तक पिता मंगाराम ने ही किया था। वादी के दत्तक पिता मंगाराम सेठ मगनीराम के यहाँ सन् 2005 तक काम किया था। मंगाराम सन् 2006 में फौत हो चुका है।स्व. मंगाराम ने अपने जीवन काल मे ही वादी रामूराम को सन् 1989 में मंगनीराम के पडपौत्र लक्ष्मीनिवास के कपडा मील पर मूनीम की नौकरी पर रखवाया था, तब से लेकर आज तक प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के यहाँ वादी नौकरी करता है। तथा उपरोक्त खेत पर वादी अपने दत्तक पिता के समय से वादी का परिवार खेती कर अपना जीवन यापन करता है।

उपरोक्त खेत ख. न. 298 के पडौसियो द्वारा नाजायज रूप से वादी के कब्जे काश्त का खेत की सीवं को तोडने पर पडौसी से विवाद रहने लग गया है।वादी ने राज्य सरकार की योजना के तहत खेत की खतौनी निकलाने पर पता चला कि उपरोक्त खेत की खातेदारी उक्त उपहार की लिखापढी के आधार पर वादी या वादी के दत्तक पिता के नाम दर्ज नही हुई है।जबकि उपरोक्त खेत पर वादी व वादी के पुर्वजों का उपरोक्त उपहार की लिखापढी के समय से आज दिन तक कब्जा काश्त है।और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत 57 साल से कब्जा काश्त वादी का होने से भी वादी उपरोक्त खेत की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने का कानूनन् अधिकारी है जिस हेतु वादी मौजा दौलतपुरा के खेत ख. न. 298 की सम्पुर्ण खातेदारी अपने नाम की घोषित कराने हेतु यह घोषणा खातेदारी का दावा पेश किया है।

प्रार्थना वादी है कि

मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 298 रकबा 10 ब़ीघा 13 बिस्वा,की सम्पुर्ण खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाकर उपरोक्त खेत के खातेदार गोविन्दराम गोगलराम पिता मगनीराम कौम महाजन का नाम खातेदारी से हटाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 08.01.2018 प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

दिनाकं 16.01.2018 को वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में Pw –01 वादी का साक्ष्य शपथ–पत्र व गवाह Pw –02 मून्नालाल, Pw –03 जेठाराम, Pw –04 भंवरलाल, Pw –05 गोविन्दराम का साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या–2017 / 355 दायर दिनांक 13.12.2017
निर्णय दिनांक 16.01.2018
रामूराम, बनाम लक्ष्मीनिवास, वगैरा।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पक्षकार् द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 298 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा,की सम्पुर्ण खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाकर उपरोक्त खेत के खातेदार गोविन्दराम गोगलराम पिता मगनीराम कौम महाजन का नाम खातेदारी से हटाया जाता है।तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **16.01.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2017/355 दायरा दिनांक 16.01.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामूराम दत्तकपुत्र मंगाराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. लक्ष्मीनिवास पुत्र गोकुलचन्द 2. बेणीगोपाल पुत्र गाकुलचन्द 3. श्रीनिवास पुत्र नृसिंहदास 4. श्रीकुमार पुत्र नृसिंहदास समस्त जाति महाजन निवासी बी. 07 2 फलॉर ग्रेटर कैलास पार्ट–01 न्यु दिल्ली 110048 5. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत घोषणा खातेदारी
हस्ब धारा 88,राज. काश्त. अधि.

दिनांक 16.01.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री समन्दरसिंह नाथावत वादी की और से अधिवक्ता व श्री, प्रतिवादी, अनु0 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 298 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा,की सम्पुर्ण खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाकर उपरोक्त खेत के खातेदार गोविन्दराम गोगलराम पिता मगनीराम कौम महाजन का नाम खातेदारी से हटाया जाता है।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।

नीज..........–.......... मुवलिंग...........–.............. बाबत....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बराबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 16.01.2018 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीष्नर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–355–2017/रीडर/2018/ 102 दिनांक 01/02/2018

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

हस्ब धारा 88,राज. काश्त. अधि.

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामूराम दत्तकपुत्र मंगाराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1.लक्ष्मीनिवास पुत्र गोकुलचन्द 2.बेणीगोपाल पुत्र गाकुलचन्द 3.श्रीनिवास पुत्र नृसिंहदास 4.श्रीकुमार पुत्र नृसिंहदास समस्त जाति महाजन निवासी बी. 07 2 फलॉर ग्रेटर कैलास पार्ट–01 न्यु दिल्ली 110048 5.श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय व डीकी की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner